सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री महावीरसिंह जोधा)

राजस्व आवेदन संख्या 44/2021

अन्तर्गत धारा 212 रा0का0अधि0

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. आईदानसिंह पुत्र राणसिंह 2. गिरधरसिह पुत्र राणसिंह, जाति–राजपुत, नि0 रामदेवपुरा (आंरग), तह0 शिव		1. श्रीमती रेखाकंवर पत्नी राणसिंह 2. नवलसिंह पुत्र राणसिंह 3. डूंगरसिंह पुत्र राणसिंह जाति–राजपुत, नि0 रामदेवपुरा (आंरग) तह0 शिव 3. राज0 राज्य जरिये तहसीलदार एवं पदेन उप पंजीयक शिव।

दिनांक	हुक्म कार्यवाही मय इनिषियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तामील में जारी हुए
16/6/2021	प्रार्थीगण के वकील श्री नरेन्द्रसिह सियाग ने यह प्रार्थना पत्र धारा 212 आर.टी.एक्ट. के तहत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थीगण जरीये नोटिस तलब हो। प्रार्थीगण के अधिवक्ता को स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण के वकील की बहस है कि प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी संख्या 1 से 3 की संयुक्त पुश्तैनी खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 449/256, 496/397 रकबा क्रमशः 41.01, 48.16 बीघा, कुल रकबा 89.17 बीघा के वाके मौजा रामदेवपुरा, पटवार हल्का– आंरग तह0 शिव मे आये हुये है। उक्त वादग्रस्त आराजी में विप्रार्थीनी संख्या 1 ने अपने हक हिस्सा का हक त्याग अपने पुत्रों प्रार्थीगण व विप्रार्थी संख्या 2 व 3 के पक्ष में कर उक्त वादग्रस्त आराजी का मौके पर मौखिक एवं पारिवारीक विभाजन भी कर दिया। मौखिक एवं पारिवारीक विभाजन में प्रार्थीगण व विप्रार्थी संख्या 2 व 3 का बहक बराबर खातेदारी हिस्सा है एवं उसी हिस्सानुसार मौके पर कब्जा काश्त के काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। वादग्रस्त आराजी मे से विप्रार्थीनी संख्या 1 का नाम हटाया जाना है इन खेतो में विप्रार्थीनी संख्या 1 का कोई हक हिस्सा इस पारिवारीक विभाजन के बांद नही रहा है। इसी मौखिक पारिवारीक विभाजन अनुसार प्रार्थीगण व विप्रार्थी संख्या 2 व 3 अपने हिस्से की भूमि पर कब्जा काश्त के काबिज है। प्रार्थीगण ने अपने हिस्से की भूमि पर रहवासी ढाणी, पानी के टांके इत्यादि भी बनाये हुए है किन्तु वर्तमान में विप्रार्थीगण इस मौखिक पारिवारीक विभाजन के विपरीत वादग्रस्त आराजी को खुर्द बुर्द करने पर आमादा है। जबकि वादग्रस्त अराजी पर मौखिक पारिवारीक विभाजन अनुसार भौतिक रूप से कब्जा काश्त प्रार्थीगण का होने से प्रार्थीगण का आवेदन प्रथम दृष्टया प्रमाणित है एवं विप्रार्थीगण अपने मकसद मे कामयाब हो जाते है तो अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थीगण को होनी संभाव्य है। प्रार्थीगण के कब्जाकाश्त व खातेदारी की भूमि के वर्तमान मौके की स्थिति में परिवर्तन नही करें एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे। इस आशय की अस्थाई निशेधाज्ञा पक्ष प्रार्थीगण [illegible] सादिर फरमाई जावें। "धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम [illegible] कि यदि इस अधिनियम के अंतर्गत किसी वाद या कार्यवाही के दौरान शपथप[illegible] अन्य प्रकार से यह सिद्व हो जाये कि:– (क) कोई सम्पत्ति जिसके बारे मे उक्त वाद या कार्यवाही है, तत्संबद्व किसी पक्षकार द्वारा दुरूपयोग किये जाने, क्षतिग्रस्त किये जाने या परकीकरण किये जाने	

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2026.05.20 19:00:11 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
1.4.26	पत्रावली पेश हुई । प्रार्थी / विप्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित / अनुपस्थित पत्रावली में आज कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं होने के कारण इत्तला होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार दिनांक 6.5.26 को पेश हो ।	
6.5.26	पत्रावली पेश / प्रार्थी वकील अनुपस्थित । पत्रावली में पैरवी हेतु प्रार्थी व प्रार्थी वकील को न्यायालय समय में रुक--रुककर आवाजे दी जाने के बावजुद कोई उपस्थित नही । अतः पत्रावली में प्रभावी पैरवी नही होने तथा अनुपस्थित रहने पर पत्रावली इसी स्टेज पर अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर शिव (बाड़मेर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2026.05.20 19:00:11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner